न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, माण्डल जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी–डॉ0 पूजा सक्सेना, आर0ए0एस0
प्रकरण संख्या 198/19 प्रार्थना पत्र

अनवान प्रकरण

1–कैलाशदेवी पत्नि स्व0 आनन्दीलाल कलाल निवासी स्टेशननगर त0माण्डल, जिला भीलवाड़ा
2–संतोष पिता स्व0 आनन्दीलाल कलाल निवासी स्टेशननगर त0माण्डल जिला भीलवाड़ा
3–केदार पिता स्व0 आनन्दीलाल कलाल निवासी स्टेशननगर त0माण्डल जिला भीलवाड़ा
4–आरती पुत्री स्व0 आनन्दीलाल कलाल पत्नि अनिल कुमार जायसवाल निवासी स्टेशननगर त0माण्डल जिला भीलवाड़ा हाल निवासी कपासन जिला चितौड़गढ
5–विजयकुमार पिता चुन्नीलाल कलाल निवासी स्टेशननगर त0माण्डल जिला भीलवाड़ा

–––प्रार्थीगण

बनाम

1–बनवारीलाल पिता चुन्नीलाल कलाल निवासी स्टेशननगर तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा
2–नरेशकुमार पिता चुन्नीलाल कलाल निवासी स्टेशननगर तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा
3–गणेश पिता चुन्नीलाल कलाल निवासी स्टेशननगर तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा
4–सीता पुत्री चुन्नीलाल कलाल निवासी स्टेशननगर तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा
5–माया पुत्री चुन्नीलाल कलाल निवासी स्टेशननगर तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा
6–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब मांडल तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा

–––अप्रार्थीगण

(प्रार्थना पत्र बाबत– अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधिनियम)

–––0–––

उपस्थितः– वकील प्रार्थीगण– श्री अब्दुल रशीद पठान एवं मोहम्मद हनीफ रंगरेज
वकील अप्रार्थीगण –श्री कमलेश मेहता

–––

आदेश दिनांक 13.05 .2022

प्रार्थीगण के द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि–

1–यह कि विपक्षी संख्या 01 लगायत 05 के द्वारा प्रार्थीगण के विरूद्ध एक वादपत्र विभाजन आराजीयात अन्तर्गत धारा 53–54 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम क तहत दिनांक 01.10.2015 को प्रस्तुत किया गया जिसके प्रकरण संख्या 181/2015 है जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 02 के संयुक्त स्वामित्व आधिपत्य एवं खातेदारी अधिकारों की आराजीयात वाके ग्राम गुढा पटवार मण्डल संतोकपुरा तहसील माण्डल में जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 के खाता संख्या 08 में आराजी नम्बर 470 रकबा 01 बीघा, आराजी नम्बर 471 रकबा 01 बीघा 05 बिस्वा, आराजी नम्बर 473 रकबा 01 बीघा 02 बिस्वा कुल कीता 03 कुल रकबा 03 बीघा 07 बिस्वा का वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 व 02 क मध्य मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन करवाये जाने का अनुतोष चाहा गया था । प्रार्थी संख्या 01 लगायत 04 के पति/पिता आनन्दीलाल व प्रार्थी संख्या 05 के विरूद्ध पेश किया था। आनन्दीलाल की मृत्यु हो जाने से प्रार्थी संख्या 01 लगायत 04 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई जिस पर प्रार्थी संख्या 01 लगायत 04 द्वारा दो तरफा कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया, अपना नाम आनन्दीलाल के वारिसान के रूप में जुड़वाया।

2–यह कि उक्त आराजीयात का पूर्व में पारिवारिक बटवाड़ा हो चुका है तथा उक्त आराजीयात पर प्रार्थी संख्या 01 लगायत 04 काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं तथा विपक्षीगण का उक्त आराजीयात पर कोई कब्जा नहीं है, केवल मात्र राजस्व रेकॉर्ड में नाम अंकित चला आ रहा है जिसकी वजह से विपक्षीगण उक्त आराजीयात को खुर्द बुर्द करना चाहते हैं, जिसका विपक्षीगण को कोई वैधानिक अधिकार नहीं है। प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया मामला होकर सुविधा संतुलन का बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। यदि दौराने दावा विवादित आराजीयात को विपक्षी संख्या 01 लगायत 05 द्वारा

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

विक्रय, रहन बय बख्क्षीस या अन्य प्रकार से अंतरित कर दिया गया तो प्रार्थीगण को काफी आर्थिक नुकसान होगा व वाद विवाद बढ जायेगें ।

3–अतः निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर मूल वाद के निस्तारण तक विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि ग्राम गुढा पटवार मण्डल संतोकपुरा तहसील माण्डल में जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 के खाता संख्या 08 में आराजी नम्बर 470 रकबा 01 बीघा, आराजी नम्बर 471 रकबा 01 बीघा 05 बिस्वा, आराजी नम्बर 473 रकबा 01 बीघा 02 बिस्वा कुल कीता 03 कुल रकबा 03 बीघा 07 बिस्वा भूमि का या इसके किसी भू भाग को अन्य व्यक्तियों को विक्रय, रहन बय बख्क्षीस द्वारा अंतरित व भारित नहीं करें तथा विपक्षी संख्या 06 उक्त आराजीयात के किसी भी दस्तावेज का पंजीयन नहीं करे। विपक्षीगण रेकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

4–प्रार्थना पत्र दिनांक 22.11.2019 को प्रस्तुत किए जाने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस दिनांक 24.12.2019 को तलब किया गया। दिनांक 09.01.2020 को अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 05 की ओर से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य पूर्व में कोई पारिवारिक बटवाड़ा नहीं हुआ बल्कि वादग्रस्त आराजीयात पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण संयुक्त रूप से काबिज होकर अपने अपने हक हिस्से अनुसार सहुलियत के हिसाब से काश्त कर रहे हैं। वादीगण को व प्रतिवादीगण को वादग्रस्त भूमि में अपने हक व हिस्से अनुसार हस्तान्तरण करने का पूर्ण अधिकार है। वादीगण व प्रतिवादीगण दोनो सह खातेदार है ऐसी स्थिति में एक सहखातेदार अन्य सहखातेदारों के विरूद्ध कोई अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। विपक्षीगण का प्रथम दृष्टया मामला है क्योंकि राजस्व रेकॉर्ड में विपक्षीगण खातेदार दर्ज होकर हिस्से अनुसार मौके पर काबिज है। प्रार्थीगण विपक्षीगण के विरूद्ध किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र झूठें तथ्यों के आधार पर पेश किया जो खारीज किये जाने योग्य है।

5–उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। बहस में प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थनापत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि आराजीयात संयुक्त खातेदारी की होकर विभाजन का वाद विचाराधीन है। जब तक विभाजन नहीं हो जाता है किसी भी आराजीयात का किसी भी प्रकार से अंतरण नहीं करे। वादवर्णित आराजीयात बाबत पूर्व में पारिवारिक बटवाड़ा हो चुका है और बटवाड़े में वादोक्त आराजीयात प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में आई। केवल मात्र रिकॉर्ड में विपक्षीगण का नाम रहजाने का फायदा उठाकर वे आराजीयात को विक्रय, रहन बय बख्क्षीस करने पर आमादा है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे।

6– बहस में अप्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थनापत्र के जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि आराजीयात संयुक्त खातेदारी की होकर विभाजन का वाद विचाराधीन है। जिसमें हम विपक्षीगण का हक हिस्सा निहीत है। राजस्व रिकॉर्ड नकल जमाबन्दी ग्राम गुढा की आ0नं0 470, 471, 473 की सम्वत् 2070 से 2073 प्रस्तुत की जिसमें आनन्दीलाल, विजयकुमार, बनवारीलाल, नरेशकुमार, गणेश पिता चुन्नीलाल, सीता, माया पुत्री चुन्नीलाल के नाम संयुक्त रूप से दर्ज है तथा आनन्दीलाल के फौत हो जाने से नामान्तरकरण संख्या 870 दिनांक 21.06.2016 से प्रार्थीगण का नाम दर्ज हुआ। वादवर्णित आराजीयात बाबत पूर्व में कोई पारिवारिक बटवाड़ा नहीं हुआ है न हीं वादोक्त आराजीयात अकेले प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में है। सभी सह खातेदार अपने–अपने हिस्से पर सुविधानुसार काश्त करते आ रहे हैं परन्तु विधिवत बटवाड़ा नहीं होने से विवाद बना रहता है। एक सह खातेदार अपने हिस्से का अन्तरण कर सकता है किसी आराजी विशेष का अंतरण नहीं कर सकता है। अतः प्रार्थना पत्र सव्यय खारीज फरमाया जावे।

6–हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर बहस सुनी । प्रार्थना पत्र के निर्णय से पूर्व तीन बिन्दुओं पर निर्णय आवश्यक है–1 प्रथम दृष्टया मामला, 2–सुविधा सन्तुलन , 3–अपूरणीय क्षति। उक्त प्रकरण में उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस के तथ्यों व प्रार्थना पत्र, एवं जवाब के तथ्यों पर मनन किया तथा पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन करने पर पाया गया कि –

1–प्रथम दृष्टया मामलाः– ग्राम गुढा की आ0नं0 470, 471, 473 कुल कीता 3 कुल रकबा 3 बीघा 07 बिस्वा नकल जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 में अन्य आ0नं0 542 व 546 के साथ आनन्दीलाल, विजयकुमार, बनवारीलाल, नरेशकुमार, गणेश पिता चुन्नीलाल, कमला पनि चुन्नीलाल कलाल सा0

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

स्टेशन मांडल के नाम संयुक्त खातेदारी से दर्ज रिकॉर्ड है। नामान्तरकरण संख्या 822 दिनांक 30.06.2015 से कमला पत्नि चुन्नीलाल के बजाय आनन्दीलाल, विजयकुमार, बनवारीलाल, नरेशकुमार, गणेश पिता चुन्नीलाल, सीता, माया पुत्री चुन्नीलाल के नाम संयुक्त रूप से दर्ज हुआ। इसके बाद आनन्दीलाल पिता चुन्नीलाल कलाल के फौत होने से नामान्तरकरण संख्या 870 दिनांक 21.06.2016 से विरासत में संतोष, केदार, पिता आनन्दीलाल, आरती पुत्री आनन्दीलाल, कैलाशदेवी पत्नि आनन्दीलाल का नाम दर्ज हुआ। उक्त जमाबन्दी के अनुसार ग्राम गुढा की आराजी नम्बर 470–471–473 प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 01 से 05 की संयुक्त खातेदारी की है। प्रार्थीगण के द्वारा अपने प्रार्थना पत्र की ताईद में न तो पारिवारिक बटवाड़ा नामा प्रस्तुत किया है न ही ऐसा कोई दस्तावेज जिससे वादोक्त आराजीयात प्रार्थीगण के हक हिस्से व कब्जे की हो। इस प्रकार आराजीयात संयुक्त खातेदारी की है जिसमें एक सह खातेदार अपने हिस्से तक बिना विभाजन के भूमि का किसी भी प्रकार से अन्तरण करने के लिए स्वतंत्र है। प्रार्थीगण के द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जिससे यह सिद्ध हो कि विपक्षीगण बिना विभाजन के किसी आराजी विशेष का अन्तरण कर रहे हों। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध नहीं होता है।

2–सुविधा सन्तुलन– वाद वर्णित आराजीयात में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध नहीं हुआ आराजीयात पर प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 01 लगायत 05 का संयुक्त रूप से कब्जा काश्त है । प्रार्थीगण का अकेले का कब्जा काश्त किसी प्रकार से सिद्ध नहीं है जिससे सुविधा सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं बनता है।

3–अपूरणीय क्षतिः– प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा सन्तुलन दोनो बिन्दु प्रार्थीगण के विरूद्ध निर्णित हुए हैं ऐसी स्थिति में यदि अस्थाई निषेधाज्ञा विपक्षीगण के विरूद्ध जारी की जाती है तो विपक्षीगण को अपूरणीय क्षति होगी तथा जारी नहीं करने पर प्रार्थीगण को कोई हानि नहीं होगी। अतएवः–

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 को प्रार्थीगण सिद्ध कराने में असफल रहे हैं । अतः प्रार्थना पत्र खारीज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 13.05.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 पूजा सक्सेना)
उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा